न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **38/23 (वाद)**

GCMS No. : 2023/99

1. श्री उपेन्द्रकुमार पिता रिछपालसिहं जी जाति मीणा, आयु वयस्क, निवासी मावली रोड, डबोक चोराया, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. उषा पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
2. दुर्गा पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील. आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
3. प्रेमदेवी पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
4. श्री प्रहलाद पिता गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
5. श्री मदनलाल पिता गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
6. श्रीमती रूकमणी पत्नी गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
7. राजुदेवी पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
8. लाजवन्ती पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
9. श्री कन्हैयालाल पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. श्री किका पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. श्रीमती गमेरी पत्नी रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. श्री चुन्नीलाल पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
13. श्री तेजा पिता माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
14. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

15. दलुबाई पुत्री देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप दिनांक 29.08.2024)
16. श्रीमती नानकी पत्नी सवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
17. श्री प्रकाश पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
18. पुष्पा पुत्री रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
19. श्री बन्शीलाल पिता सवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
20. श्री भमरू पिता माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
21. श्री मदनलाल पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
22. श्री मोहन पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप दिनांक 29.08.2024)
23. रूकमणी पुत्री माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
24. श्रीमती रोड़ी पत्नी माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
25. वसनी पुत्री माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
26. श्री वाला पिता माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
27. सरसीबाई पुत्री चोखा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप दिनांक 29.08.2024)
28. ईन्द्रा पुत्री सवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
29. पटवारी, पटवार हल्का नामरी, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
30. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 10.03.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1357, 1358 किता 2 कुल रकबा 0.5180 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम हिस्सानुसार अंकित है शेष भूमि अन्य सहखातेदार के नाम अंकित हैं। गोवर्धन का देहान्त हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1354 रकबा 0.0243 हेक्टेयर आ.चा. कुआ उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम हिस्सानुसार अंकित है शेष भूमि अन्य खातेदार के नाम अंकित है। गोवर्धन का देहान्त हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हैं।
2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता एवं मृतक खातेदार गोरधनलाल ने दिनांक 17.09.2013 को उनकी खातेदारी की आराजी नम्बर 1357, 1358 कुल रकबा 0.5180 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1354 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर में दर्ज अपना 1/4 हक हिस्सा कुलिया राशि रूपये 3,00,000/— अक्षरे तीन लाख रूपयों में मुझ वादी को विक्रय कर दी और विक्रेता गोरधनलाल जी ने मेरे पक्ष में विक्रय पत्र लिखकर रजिस्ट्री करा दी तथा मुझ वादी को जमीन का कब्जा सिपूर्द कर दिया तब से इस जमीन पर मुझ वादी का लगातार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं, इसलिये मैं वादी उक्त भूमि को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में अकित कराने का अधिकारी हुं।
3. यह कि मुझ वादी द्वारा खरीदी हुई भूमि पर वक्त खरीद से निरन्तर कब्जा मुझ वादी का चला आ रहा हैं और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में भी काफी खर्चा किया हैं और जमीन को उपजाऊ बनायी है। लेकिन मुझ वादी के पक्ष में उक्त कृषि भुमि का विक्रय पत्र लिख देने के बाद उक्त असल विक्रय पत्र मेरे घर से कही गुम हो गया था जिससे रेवेन्यु रेकर्ड में उक्त विक्रय पत्र का नामांतरण नही खुला इसलिये उक्त भूमि मुझ वादी के नाम पर दर्ज नहीं हो सकी जिससे उक्त भूमि विक्रेता गोरधनलाल के नाम पर ही दर्ज रह गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

और गोरधनलाल जी के मरने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर विरासत से दर्ज हो गयी जबकि गोरधनलाल जी द्वारा जमीन बेचने के बाद इस जमीन पर इनका कोई हक हिस्सा नहीं रहा है इसलिए मैं वादी उक्त भूमि को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने का अधिकारी हूं।

4. यह कि उक्त भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम पर दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को उक्त भूमि मैने मेरे नाम पर भी अंकित कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है जबकि उक्त भूमि विक्रय करने के बाद से ही प्रतिवादीगण या गोरधनलाल जी का कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार हैं और न ही कभी ये लोग इस जमीन पर आये है क्योंकि गोरधनलाल जी ने पहले से ही भूमि मुझ वादी को विक्रय कर कब्जा दे चुके थे। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ वादी को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हमारे शांतिपूर्वक चले आ रहे आधिपत्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत की करावे एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 29 से 31 को पाबंद किया जावे कि वे वाद वर्णित कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, किस्म परिवर्तन नहीं करे, रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असम्भव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी मेरे पक्ष में है।

5. यह कि मुझ वादी का मजबूत प्राइमाफैसी केस हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मै वादी काबिज हूं और प्रतिवादीगण के पिता ने स्वयं ने पूर्व में जमीन बेची है ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण का कि[illegible] प्र[illegible] का कोई स्वत्व अधिकार नहीं है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

इसिलए स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 03.03.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने हमारे कहने पर भी उक्त वर्णित भूमि मेरे खाते कराने से इन्कार कर दिया और बोला दावा करके खाते करा लो।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एवं मृतक खातेदार गोरधनलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि को मुझ वादी के खाते में घोषित फरमाई जाकर मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एवं मृतक खातेदार गोरधनलाल का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें। मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे वाद में वर्णित आराजीयात में अपने नाम दर्ज हिस्से को रहन, बैह बक्षीश आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, वादी को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत करावे। मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 29 से 31 को पाबंद किया जावे कि वे वाद वर्णित कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, किस्म परिवर्तन नहीं करे, रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14, 16 से 21, 23 से 26, 28 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 15, 22, 27 के विरूद्व वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप किया जा चुका हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री उपेन्द्र कुमार का पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा घणोली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 318 प्रदर्श 1, खाता संख्या 319 प्रदर्श 2, मौजा घणोली का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2013 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 4 करवाये गये।

10. अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 318 पर दर्ज आराजी नम्बर 1357, 1358 किता 2 कुल रकबा 0.5180 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 319 पर दर्ज आराजी नम्बर 1354 किता 1 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रदर्श 4 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2013 से प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7, 8 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति गोरधनलाल द्वारा वादी को विक्रय कर दिया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व कर्मचारियों को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार दर्ज नही किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7, 8 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति गोरधनलाल का निधन हो गया। गोरधनलाल के निधन के पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत नामान्तरकरण पारित कर गोरधनलाल के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निष्पादन से ही खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

किया है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077—80 के खाता संख्या 318 पर दर्ज आराजी नम्बर 1357, 1358 किता 2 कुल रकबा 0.5180 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार खाता संख्या 319 पर दर्ज आराजी नम्बर 1354 किता 1 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री उपेन्द्रकुमार पिता रिछपालसिहं जी जाति मीणा, आयु वयस्क, निवासी मावली रोड, डबोक चोराया, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. उषा पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
2. दुर्गा पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील. आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
3. प्रेमदेवी पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
4. श्री प्रहलाद पिता गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
5. श्री मदनलाल पिता गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
6. श्रीमती रूकमणी पत्नी गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
7. राजुदेवी पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
8. लाजवन्ती पुत्री गोरधनलाल जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पुठोल, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
9. श्री कन्हैयालाल पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. श्री किका पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. श्रीमती गमेरी पत्नी रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. श्री चुन्नीलाल पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
13. श्री तेजा पिता माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
14. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

15. दलुबाई पुत्री देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप दिनांक 29.08.2024)
16. श्रीमती नानकी पत्नी सवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
17. श्री प्रकाश पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
18. पुष्पा पुत्री रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
19. श्री बन्शीलाल पिता सवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
20. श्री भमरू पिता माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
21. श्री मदनलाल पिता रता जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
22. श्री मोहन पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप दिनांक 29.08.2024)
23. रूकमणी पुत्री माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
24. श्रीमती रोड़ी पत्नी माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
25. वसनी पुत्री माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
26. श्री वाला पिता माना जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
27. सरसीबाई पुत्री चोखा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) (ड्रोप दिनांक 29.08.2024)
28. ईन्द्रा पुत्री सवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घणोली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
29. पटवारी, पटवार हल्का नामरी, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
30. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 38/23 (वाद) GCMS No. – 2023/99

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 318 पर दर्ज आराजी नम्बर 1357, 1358 किता 2 कुल रकबा 0.5180 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार खाता संख्या 319 पर दर्ज आराजी नम्बर 1354 किता 1 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:24 IST
Reason: SelfAttested